

उ०/२५

— फनावली पैशा हुई। पार्थी व वकील पार्थी उपस्थित नहीं। इनके अनुपस्थिति रहने के कारण पार्थना-पत्र से संबंधित मूल दावा अदम्य परवी अदम्य हाजरी में स्वारिज हो चुका है। इससे यह पार्थना-पत्र भी अद्य भागे चलने योग्य नहीं है।

अतः यह पार्थना-पत्र भी इसी स्तर पर खसिज किया जाता है। फनावली निर्णय में शुमार की जाने तथा तारीख तन्मिल की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

*Saxena*

उपखण्ड अधिवारी  
तामनगर दूख